**भारत सरकार**
**नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय**
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 1827**
**गुरुवार, दिनांक 11 फरवरी, 2021 को उत्तर दिए जाने हेतु**

**एनएचपीसी के साथ आईआरडीईए का समझौता ज्ञापन**

**1827. श्री पोचा ब्रह्मानंद रेड्डी:**

**डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यवती:**

**श्री पी.वी मिधुन रेड्डी:**

**श्री कुरुवा गोरांतला माधव:**

**श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी:**

**श्री टी.आर.वी.एस. रमेशः** क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड (आईआरईडीए) ने हाल ही में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को विकसित करने में अपनी तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करने के लिए एनएचपीसी के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए आईआरईडीए तकनीकी रूप से किसी राज्य सरकारों का समर्थन कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**
**नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युत राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)**

(क) और (ख): जी हां। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लि. (इरेडा) ने दिनांक 18.01.2021 को एनएचपीसी लि. के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

इस एमओयू के तहत, प्रमुख गतिविधियां, जिनके लिए इरेडा ने एनएचपीसी लि. को परामर्शी सेवाएं प्रदान करने के लिए सहमति दी है, इस प्रकार है:

i. अक्षय ऊर्जा एवं ऊर्जाक्षम और संरक्षण परियोजनाओं की तकनीकी-वित्तीय सम्यक जांच पड़ताल करना (लेखांकन, कर और विधिक सम्यक जांच पड़ताल को छोड़कर)।

ii. अगले पांच वर्षों के लिए अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं सृजित करने और अर्जित करने (जैसा भी मामला हो) के लिए एक कार्य योजना तैयार करने में सहायता।

iii. वित्तीय मॉडलिंग और उनसे प्राप्तियों सहित ब्राउनफिल्ड परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन करना और ऐसी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए सहायता प्रदान करना।

यह समझौता ज्ञापन पांच वर्षों की अवधि के लिए है, जो आपसी सहमति से आगे बढ़ाया जा सकता है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

*****